मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, सी–विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)
फोन नं. 0755–2559314, 2555464 फैक्स 2550094
Email – commissioner.nregs@gmail.com, ce_nreg@rediffmail.com

क्रमांक/8673/NR-3/EE-JPS/2015 भोपाल, दिनांक: 03/09/2015

प्रति,

- **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
  महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
  जिला – **समस्त**, मध्यप्रदेश।

विषय :– **IPPE-II** (Intensive Participatory Planning Exercise) के माध्यम से वित्तवर्ष 2016–17 का लेबर बजट तैयार करने के लिये दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र क्र.G-31011/4/2013-MGNREGA-V दिनांक 08.07.2015

––00––

संदर्भित पत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तवर्ष 2016–17 का लेबर बजट तैयार करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं। IPPE-II की प्रक्रिया में ग्रामस्तर पर सामुदायिक/व्यक्तिगत कार्यों की योजनाओं के चिन्हांकन एवं क्रियान्वयन की रणनीति तैयार करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के अत्यंत पिछड़े परिवारों एवं समुदायों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, श्रमिक वर्ग, ऐसे परिवार जिसमें महिलायें या विकलांग व्यक्ति मुखिया हों, पंचायतीराज प्रतिनिधि, ब्लॉक प्लानिंग टीम के सदस्य तथा जिला स्तर के पर्यवेक्षकों को शामिल करते हुये लेबर बजट को अंतिम रूप दिया जावे। इस संदर्भ में विभिन्न कार्यवाहियों के संचालन हेतु, जिला रिसोर्स टीम (DRT- District Resource Team) एवं विकासखण्ड स्तर पर ब्लॉक प्लानिंग टीम (BPT- Block Planning Team) का गठन निम्नानुसार किया जावे –

1. **<u>जिला रिसोर्स टीम (DRT)</u>**
   1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा
   2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा
   3. वनमण्डल अधिकारी
   4. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
   5. उपसंचालक, कृषि
   6. उपसंचालक, पशुपालन
   7. सहायक आयुक्त/जिला समन्वयक, आदिवासी कल्याण विभाग
   8. सहायक संचालक, मत्स्य
   9. सहायक संचालक, रेशम
   10. सहायक संचालक, उद्यानिकी
   11. परियोजना अधिकारी, मनरेगा
   12. सीनियर डाटा मैनेजर, मनरेगा
   13. डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर (NRLM)
   14. सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि (CSOs)
   15. PMRDF

कलेक्टर के स्वयं उपस्थित न होने की स्थिति में वे अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

जिला रिसोर्स टीम का मुख्य दायित्व BPT का प्रशिक्षण एवं लेबर बजट को त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन उपरांत अंतिम रूप देना है।

जिला रिसोर्स टीम के लिये **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नोडल अधिकारी** होंगे।

2. **जिला नोडल अधिकारी** –

2.1 जिला रिसोर्स टीम के प्रत्येक सदस्य को एक–एक विकासखण्ड का प्रभारी अधिकारी नामांकित करेंगे।

2.2 विकासखण्ड स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण की संपूर्ण कार्यवाही (छायांकन सहित) तथा ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तुत लेबर बजट को त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन उपरांत, नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड करायेगें।

2.3 विशेष ग्रामसभाओं के आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

2.4 जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने के लिये नामांकित करेंगे।

2.5 प्रशिक्षण हेतु, राज्य मुख्यालय से आने वाले SRT सदस्यों के लिये लॉजिस्टिक्स व्यवस्था करेंगे।

3. **ब्लॉक प्लानिंग टीम (BPT)** – विकासखण्ड में लेबर बजट तैयार करने के लिये ब्लॉक प्लानिंग टीम में निम्नानुसार सदस्य होंगे –

3.1 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
3.2 अनुविभागीय अधिकारी वन
3.3 तहसीलदार
3.4 वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी
3.5 सहायक संचालक, पशुपालन
3.6 सहकारिता विस्तार अधिकारी
3.7 सहायक यंत्री, मनरेगा
3.8 उपयंत्री, मनरेगा
3.9 क्षेत्रीय संगठक, आदिवासी कल्याण विभाग
3.10 सहायक मत्स्य अधिकारी
3.11 क्षेत्रीय अधिकारी, रेशम
3.12 क्षेत्रीय अधिकारी, उद्यानिकी
3.13 परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग
3.14 अति. कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा
3.15 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर (NRLM) द्वारा नामांकित पी एफ टी को–ऑर्डिनेटर
3.16 सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि (CSOs)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्वयं उपस्थित न होने की स्थिति में वे अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। ब्लॉक रिसोर्स टीम का मुख्य दायित्व BPT से सफलतापूर्वक IPPE की कार्यवाही कराते हुये लेबर बजट को जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजना है।

ब्लॉक प्लानिंग टीम के लिये **कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नोडल अधिकारी** होंगे।

4. <u>ग्राम पंचायत स्तर पर IPPE-II की प्रक्रिया</u> :–

4.1 ग्राम पंचायत स्तर पर लेबर बजट तैयार कराने के लिये संबंधित उपयंत्री प्रभारी अधिकारी होंगे, अतः प्रत्येक उपयंत्री यह सुनिश्चित करें, कि उनके क्षेत्रान्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों में IPPE-II प्रक्रिया के अनुसार ही लेबर बजट तैयार हो।

4.2 सर्वप्रथम ब्लॉक प्लानिंग टीम एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारी आपस में अच्छी तरह परिचित हों, ताकि उनमें ग्राम के विकास की योजना तैयार करने के लिए आपसी सामंजस्य एवं समझ विकसित हो।

4.3 ब्लॉक प्लानिंग टीम को समस्त ग्रामीणजनों के समक्ष अधिनियम तथा योजना के मुख्य प्रावधान स्पष्ट करने चाहिए, इस प्रक्रिया में विभिन्न कार्यों के नियोजन, रोजगार की मांग का आकलन, अनुमत कार्य, विभिन्न लाईन विभागों से अभिसरण के माध्यम से संचालित की जाने वाली गतिविधियों आदि के बारे में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए।

4.4 ब्लॉक प्लानिंग टीम का मुख्य दायित्व है, कि ऐसे कार्यों के चयन हेतु ग्रामीणजनों को प्रोत्साहित किया जावे, जिनसे कार्यों की उत्पादकता एवं उपयोगिता सिद्ध हो तथा चयनित कार्यों से स्थायी आजीविका एवं रोजगार प्राप्त हो। प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध संसाधन जैसे कृषि भूमि, बंजर भूमि, सिंचाई सुविधाएं, पशुधन आदि से संबंधित जानकारी समक्ष में प्राप्त की जाकर उन्हें स्थाई आजीविका से जोड़ने के लिए यथोचित कार्यों का चयन किया जावे।

4.5 ग्राम की योजना तैयार करने के लिए नक्शे का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पटवारी के पास उपलब्ध राजस्व नक्शा, टोपोग्राफी शीट अथवा स्थानीय स्तर पर तैयार किये गये नक्शे का उपयोग किया जा सकता है। नक्शे में समुदाय मूलक कार्यों एवं व्यक्तिगत कार्यों को प्रदर्शित किया जाना है। इस नक्शे में पूर्व में कराये गये कार्यों को बैंगनी रंग से, प्रचलित कार्यों को हरे रंग से, स्वीकृत परंतु अप्रारंभ कार्यों को लाल रंग से तथा नवीन प्रस्तावित कार्यों को नीले रंग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। प्रयोग के तौर पर कुछ जिलों में MPSEDC के साथ समन्वय करते हुये GIS नक्शों का प्रयोग भी किया जाना है, इस संबंध में सहायोग हेतु Volunteers भी आमंत्रित हैं।

ग्राम में उपलब्ध संसाधन जैसे जमीन, तालाब, सड़क, ग्राम पंचायत भवन, मेढ़ बंधान आदि कार्यों को प्रदर्शित किया जावे, इस आधार पर नवीन कार्यों को प्रस्तावित करने में सहायता मिलेगी।

प्रत्येक ग्राम का सामाजिक सर्वेक्षण नक्शा, संसाधन नक्शा एवं विभिन्न माह में किये जाने वाले कार्यों की रूप–रेखा संबंधी नक्शे के बारे में भारत सरकार के मैनुअल के अध्याय क्रं. 04 में विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसका पालन किया जावे।

4.6 विगत वर्षों में विभिन्न माहों में हुई रोजगार की मांग, स्थानीय त्योहारों का आयोजन, तेंदू पत्ता तुड़ाई तथा महुआ के फूलों का एकत्रीकरण आदि गतिविधियों के अनुसार रोजगार की मांग का पेटर्न अलग–अलग होगा।

4.7 कार्यों के चयन में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (**Integrated Natural Resource Management - INRM**) एवं अभिसरण (**Convergence**) के कार्यों को प्राथमिकता दी जावे। जल संरक्षण एवं संवर्द्धन, सिंचाई क्षमता में वृद्धि एवं वृक्षारोपण के कार्यों को अधिक से अधिक मात्रा में एवं प्राथमिकता के साथ चयनित करने के संबंध में भी ग्रामसभा में चर्चा सुनिश्चित करें।

4.8 कार्यों का चयन करने हेतु प्रत्येक ग्राम में की जाने वाली ट्रांजिट वॉक में ब्लॉक प्लानिंग टीम के साथ ग्रामीणजन तथा पंचायत प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। ट्रांजिट वॉक के दौरान ग्रामीणजनों के निवास की भौगिलिक स्थिति, शौचालय की स्थिति एवं अन्य उपलब्ध संरचनाओं की जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार खेत–खलिहान एवं कृषि भूमि के क्षेत्र में भूमि का उपयोग, मिट्टी की गुणवत्ता, सिंचाई संसाधन की उपलब्धता, पशुपालन की स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा ग्रामीणजनों द्वारा प्रस्तावित नवीन कार्यों के लिए स्थल पर ही मौका–मुआयना किया जा सकता है।

4.9 चयनित कार्यों को ग्राम की आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकता तय करने के लिए समुदाय मूलक एवं हितग्राही मूलक श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। समुदाय मूलक कार्यों में आंगनबाड़ी, तालाब, चरनोई संधारण तथा विकास, स्टॉपडेम, सड़क, निर्मलनीर, स्कूलों में शौचालय, भारत निर्माण राजीवगांधी सेवा केन्द्र (सामुदायिक भवन) आदि कार्य होंगे, जबकि हितग्राही मूलक कार्यों में केटल शेड, कपिलधारा कूप, बकरी शेड, निर्मल वाटिका आदि के कार्य लिये जा सकते हैं। कार्यों की प्राथमिकता इस प्रकार तय की जावे कि रोजगार की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकतानुसार रोजगार प्राप्त हो सके व मजदूरी एवं सामग्री का निर्धारित अनुपात भी संधारित हो सके, क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों के लिए अतिक्रमण मुक्त समुचित स्थल उपलब्ध हो।

4.10 BPT प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार सामग्री उपलब्ध कराई जावे। चार्ट पेपर–6, स्केच पेन, रंगोली कलर छःह प्रकार के, चाक पैकेट(रंगीन), पेन, पेन्सिल, रेजर, बिन्दी, कैडेस्ट्रल मेप (2), टोपोशीट (2), बी–1, खसरा–नक्शा ,फॉरेस्ट केम्प मेप आदि।

5 **लेबर बजट की तैयारी–** ब्लॉक प्लानिंग टीम द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत ग्राम पंचायतों के लेबर बजट की तैयारी प्रारंभ की जावेगी। BPT के सदस्यों को उपयंत्रियों के सेक्टरवाईस (जनपद पंचायत में निर्धारित) विभक्त कर ग्राम पंचायतें आवंटित कर दी जावें, जो कि उन्हें आबंटित ग्राम पंचायतों का लेबर बजट तैयार करने हेतु जिम्मेदार होंगे। भारत सरकार के प्राप्त निर्देशों के अनुसार लेबर बजट तैयार करने के लिये सक्रिय जॉबकार्डधारी परिवार, पंचायतराज प्रतिनिधि, उपयंत्री, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं मेट की सहभागिता अनिवार्य होगी।

विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन – ब्लॉक प्लानिंग टीम प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम 10 दिवस में ग्राम पंचायत के लेबर बजट का प्रारूप तैयार करेगी। जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित विशेष ग्राम सभाओं के दिवस में लेबर बजट के प्रारूप का अनुमोदन, ग्राम सभाओं से अनिवार्यतः करा लिया जावे।

IPPE-II परिकल्पना तथा ग्राम–सभा का आयोजन – इस बृहद कार्यक्रम की सफलता हेतु माह के निश्चित दिवस में विशेष ग्रामसभाऐं हर माह आयोजित हो पायें, इस हेतु विकासखण्ड में उपयंत्रियों का कार्यक्षेत्र, सेक्टरवाइज निर्धारित किया गया है, उसका पालन सुनिश्चित किया जावे। प्रत्येक माह में एक सेक्टर के अंतर्गत जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उनकी ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु एक दिवस निर्धारित किया जावे। सप्ताह में सोमवार, बुधवार, एवं शुक्रवार को यह कार्यवाही करने पर, पूरे माह में प्रथम सोमवार से चौथे शुक्रवार तक 12 दिवस उपलब्ध होंगे, जिसमें ग्रामसभा के आयोजन हेतु प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग–अलग दिन निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः एक विकासखण्ड में सेक्टर्स की संख्या लगभग 10 रहती है, जिनके लिये उपरोक्त दिवसों में ग्रामसभा हेतु निर्धारण किया

जा सकता है, यह भी उपयुक्त होगा कि उपरोक्त 12 दिवसों में एक ही वार (दिन) के 4 दिवस जनपद स्तर पर निर्धारित बैठकों के लिये सुरक्षित रखे जावें एवं शेष 8 दिवसों में, विकासखण्ड में ग्रामसभा सेक्टरवार आयोजित की जावे, इससे विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को अपने भ्रमण कार्यक्रम तदनुसार निर्धारित करने में मदद मिलेगी, जिसके माध्यम से IPPE-II योजना के अंतर्गत की गई परिकल्पना तथा उसके क्रियान्वयन में सुविधा मिलेगी। सुलभ संदर्भ हेतु जिला सिंगरौली की ज.पं. देवसर में सेक्टरवार ग्रामसभा के आयोजन का कैलेण्डर संलग्न है। माह में ग्रामसभा हेतु निर्धारित दिवस को ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रमुख स्थानों पर दीवार लेखन के माध्यम से प्रदर्शित किया जावे।

जिले का लेबर बजट त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से **दिनांक 31.10.2015** तक अनुमोदित कराकर **दिनांक 15.11.2015** के पूर्व राज्य शासन को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाये।

BPT का प्रशिक्षण तथा लेबर बजट की तैयारी हेतु समय–सारिणी

क्रं.	गतिविधि	समय–सीमा
1.	**ब्लॉक रिर्सोस टीम का गठन** – जिन व्यक्तियों ने IPPE-I की गतिविधियों में भाग लिया हो उन्हें इस टीम के गठन में प्राथमिकता देते हुये DRLM के प्रशिक्षक भी पर्याप्त संख्या में लिये जावें। टीम कुल प्रशिक्षकों की संख्या निर्देशानुसार रखी जावे।	4 सितम्बर 2015
2.	**ब्लॉक प्लानिंग टीम की संरचना** – SHG सदस्य, साक्षर स्त्री–पुरूष, मनरेगा–कर्मी, क्लस्टर रिसोर्स परसन तथा जो व्यक्ति IPPE-I की गतिविधियों के समय इस टीम में शामिल रहे हों, उनको प्राथमिकता दी जावे।	5 सितम्बर 2015
3.	**विकासखण्डवार प्रशिक्षण दलों का गठन** – जिला नोडल अधिकारी द्वारा विकासखण्डवार ब्लॉक रिसोर्स टीम को अंतिम रूप दिया जाना।	7 सितम्बर 2015
4.	**प्रशिक्षण कैलेण्डर** – BPT के सदस्यों हेतु विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रकाशन।	14 सितम्बर 2015
5.	**पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं प्रारम्भिक सूचनाओं का प्रदाय –** A. समस्त जॉबकार्डधारियों के पास जॉबकार्ड की उपलब्धता। B. जॉबकार्डहीन परिवारों को नवीन जॉबकार्ड प्रदाय करना। C. जॉबकार्डधारियों के पास बैंक/पोस्टऑफिस की पासबुक उपलब्ध होना।	14 सितम्बर 2015
6.	**ग्रामपंचायत स्तरीय प्लानिंग** – IPPE-II की गतिविधियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियों तथा आर्थिक,सामाजिक,जातिआधारित जनगणना SECC (Socio Economic Caste Census) की उपलब्धता।	15 सितम्बर 2015
7.	**विकासखण्ड तथा ग्रामपंचायत स्तर पर की जाने वाली तैयारियाँ –** A. विकासखण्ड स्तर पर ग्रामपंचायत के सदस्यों की बैठक। B. ग्राम पंचायत स्तर पर पंचों की बैठक। C. SHG/फेडरेशन के सदस्यों की विकासखण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक। D. प्लानिंग कैलेण्डर को अंतिम रूप दिया जाना।	15 सितम्बर 2015
8.	BPT के सदस्यों को ग्राम पंचायत स्तरीय प्लानिंग हेतु आवश्यक प्रपत्रों (कमजोर वर्ग के व्यक्तियों द्वारा रोजगार की मांग, नये जॉबकार्ड हेतु आवेदन तथा SECC के माध्यम से चिन्हित परिवारों की जानकारी एकत्र करने हेतु मुद्रित प्रपत्रों सहित) तथा अन्य स्टेशनरी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना।	24 सितम्बर 2015
9.	**दो अक्टूबर को आयोजित ग्रामसभा में प्रस्तुति हेतु तैयारियाँ –** A. डोंडी तथा लाऊडस्पीकर के माध्यम से ग्राम पंचायत क्षेत्र में सूचना का प्रचार–प्रसार। B. IPPE-II संबंधी नियोजन प्रक्रिया (Planning Process) पर विस्तृत चर्चा।	28 सितम्बर 2015

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस बात का विशेष ध्यान रखें, कि उपरोक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार हो, कार्यक्रम का सतत पर्यवेक्षण/निरीक्षण करें, जिससे कि समस्त गतिविधियां यथासमय सफलतापूर्वक सपन्न हों।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(रघुराज राजेन्द्रन)
आयुक्त
म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/8674/NR-3/Tech./2015
भोपाल, दिनांकः 03/09/2015

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त (समस्त)
2. आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, अरेरा हिल्स भोपाल
3. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, आधारताल जबलपुर
4. संयुक्त संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, संभाग (समस्त)
5. उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला (समस्त)
6. संयुक्त आयुक्त विकास/संभागीय प्रबंधक, संभाग (समस्त)

कृपया जिलों में संचालित लेबर बजट संबंधी समस्त गतिविधियों का सतत पर्यवेक्षण करें।

संबंधित श्री..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारण्टी परिषद
भोपाल (म.प्र.) 8/9/15

d:\jp shri - 2015\letter\letter\letter.doc-101